

न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर

क्रमांक / डी.एम. / रीडर / 19 / 27 / 14

दिनांक 23/11/2019

आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 9 के तहत विचाराधीन निम्नलिखित प्रकरणों को अग्रिम सुनवाई के लिए अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश दिये जाते हैं तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि इन प्रकरणों की विधिसम्मत सुनवाई कर निस्तारण करें :-

क्रम सं०	प्रकरण संख्या	अनवान पत्रावली	आयन्दा पेशी दिनांक	विशेष विवतरण
1 ✓	पं० नि० 09 / 17	विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर बनाम माणकरान वगैरा		मूल रिकॉर्ड संलग्न
2 ✓	प०नि० 21 / 16	विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर बनाम भंवरगिरी वगैरा		मूल रिकॉर्ड संलग्न
3 ✓	प०नि० 18 / 17	विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर बनाम थानाराम जाट वगैरा		मूल रिकॉर्ड संलग्न
4 ✓	प०नि० 72 / 17	विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर बनाम श्रीमती सूरजा वगैरा		मूल रिकॉर्ड संलग्न
5 ✓	प०नि० 78 / 17	विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर बनाम बस्तीराम वगैरा		मूल रिकॉर्ड संलग्न
6 ✓	प०नि० 04 / 17	विकास अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर बनाम चेनाराम वगैरा		मूल रिकॉर्ड संलग्न
7 ✓	प०नि० 33 / 17	विकारु अधिकारी पंचायत समिति जोधपुर बनाम भगवानराम वगैरा		मूल रिकॉर्ड संलग्न